रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1499] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 17, 2018/चैत्र 27, 1940
No. 1499] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 17, 2018/CHAITRA 27, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

का.आ. 1653(अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश के आगरा जिलों में स्थित है; और यह लगभग 635.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ।

और, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में नीलगाय, जंगली सुअर, साही, काली गर्दन वाले खरगोश, भारतीय लोमड़ी, सुनहरे सियार, लकड़बग्घा, भारतीय भेडिया, स्मोथ-कोटेड, भारतीय ऊदबिलाव आदि के पर्यावास है। पक्षी अभयारण्य में बड़ी संख्या में पक्षी प्रजातियों जैसे कि कॉम्ब बत्तख, स्पोट बिल्ड डच, लेस्सर विसलिंग टील, स्टार्क्स -पेंटड, ओपन बिल, ब्लैक-नेक्ड, हिरोन्स ग्रे, परपल, इरगट्स-लार्ज, कोरमोरेंट्स- ग्रेट, भारतीय साग, कैटल, डरटेर, सरूस करेना आदि भी वास करती हैं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जहां घडियाल जैसे, सरीसृपों को स्वच्छ जल का संरक्षण प्राप्त है।

और, राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर प्रदेश के आगरा जिलों स्थित है। इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 178.96 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की सीमा के शून्य से एक किलोमीटर के बीच स्थित है। इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार में शून्य को मध्य प्रदेश को छूने वाली अंत:राज्य सीमा की ओर रखने का प्रस्ताव है।

(2) राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है।

(**3**) सीमा विवरण एवं अक्षांश और देशांतर के साथ इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II क और उपाबंध II ख** के रूप में संलग्न है।

(4) राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III क और उपाबंध III ख में** दिए गए है।

(5) इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV क और उपाबंध IV ख** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) आंचलिक महायोजना को राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(6) आंचलिक महायोजना में वनरहित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(7) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि पारिस्थितिकी अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा, सुनिश्चित की जा सके।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार अंतिम रूप में दी गई अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) भू- उपयोग- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए खुले स्थानों का वाणिज्य और उद्योग संबंधी विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय और निम्नलिखित जरूरतों को पूरा करने के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर, कृषि भूमि का और अन्य भूमि संपरिवर्तन अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(च) परंतु यह भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण, और पर्यावास बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और इन क्षेत्रों या आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक प्रतिषिद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/ रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल से रचना, जल प्रपात, झरने, घाटी मार्ग, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, मार्ग, उत्प्रास आदि की पहचान की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए अंतिम रूप में दी गई अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगा जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृतिम क्षेत्रों तथा, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार राजपत्र में अंतिम रूप दी गई अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, (1974 का 6) के उपबंधों और उसके बने नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत

प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(12) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(14) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध, विनियमित और संवर्धित क्रियाकलापों की सूची– पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, (1986) (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों से शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
5.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए

		पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी।:- परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगें।
11.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
12.	वायु, और वाहन जनित प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
16.	भूजल की निकासी।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे कि एयर क्राफ्ट एवं गर्म वायु के गुब्बारों को राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उडाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामलें में कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।

19.	विद्युत केबल लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	जैव-अवक्रमणीय सामग्री का पुन:चक्रण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
21.	विद्युत लाइनों को विहगना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।भूमिगत केबल लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा ।
22.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	यथा लागू समुचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा ।
23.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । वन्यजीवों के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं द्वारा अपनी परिसंपत्तियों को कांटेदार बाड से घेरा नहीं जाएगा और कोई भी बाड़ एक मीटर से अधिक ऊंची नहीं होगी । किसी विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा।
24.	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन से गैर प्रदूषणकारी, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन में समान से उत्पाद बनाने वाले कृषि आधारित उद्योंग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।
28.	वन उत्पादों और गैर-काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
29.	ट्रेकिंग और कैम्पिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
30.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए तब तक 1 डिग्री से अधिक और 10 डिग्री तक के और किसी नदि के तट से 100 मीटर की दूरी तक के पहाड़ी ढलानों और प्राकृतिकी नालों पर कोई संनिर्माण क्रियाकलाप अनुज्ञात नहीं होगा।
31.	जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
32.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
		संवर्धित क्रियाकलाप
33.	वर्तमान कृषि पद्धतियाँ, पौधरोपण और अन्य वानिकी क्रियाकलाप ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	वर्षा जल संचय।	
38.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पौधरोपण और अन्य वानिकी क्रियाकलाप ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कृषि वानिकी ।	
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा :-

1.	आयुक्त आगरा मंडल, आगरा	-अध्यक्ष;
2.	उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य परियोजना, आगरा	–सदस्य;
3.	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा और इटावा	–सदस्य;
4.	पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
5.	जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
6.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
7.	गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि, (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) जिसे भारत सरकार द्वारा नामित किया जायेगा	–सदस्य;
8.	कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, आगरा और इटावा	–सदस्य;
9.	सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता, आगरा और इटावा	–सदस्य;
10.	जिला कृषि अधिकारी, आगरा और इटावा	–सदस्य;
11.	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला आगरा और इटावा	–सदस्य;
12.	वन संरक्षक, आगरा सर्किल, आगरा	–सदस्य सचिव

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संविक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं है जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हें केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप जो, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यां का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते है, परंतु जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, इस अधिसूचना के पैरा- 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, , अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. अतिरिक्त उपाय: इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. सुप्रीम कोर्ट आदि के आदेश.-इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/11/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में फैला है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य एक संरेखीय अभयारण्य है इसकी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली भौतिकी सीमा का दक्षिणावर्त विवरण निम्न प्रकार है।

यह पिनाहट-राजखेड़ा मार्ग पर बाह रेंज के तसोद (जीपीएस उ 26°51.912' पू 078°12.319') से आरंभ होती है। यहां से यह 1 किलोमीटर की दूरी तक दक्षिणावर्त दिशा में जाकर यह अनुरूधापुरा के प्राथमिक विद्यालय के निकट से गुजरती है। कि कृषि भूमि से होते हुए यह मनशुक्पुरा (जीपीएस उ 26°52.257' पू 078°14.443') की कच्ची सड़क को पार करती है। इसके बाद करकौली (जीपीएस उ 26°54.217'पू 078°18.109') की कृषि भूमि से होते हुए गांव नयाबांस (जीपीएस उ 26°54.999' पू 078°20.939') तक जाती है। पुन: कृषिभूमि से होते हुए यह पीनाहट-अरौटा सड़क (जीपीएस उ 26°53.947' पू 078°22.562') को पार करती है। इसके बाद, कृषि भूमि (जीपीएस उ 26°52.337' पू 078°24.212') की पीनाहट-नदगवन सड़क अर्थात् उतसना ग्राम के साथ जाती है। यह सीकातारा (जीपीएस उ 26°52.486' पू 078°24.645') ग्राम से होते हुए कृषि भूमि से होकर कृषि भूमि एवं बदौस ग्राम (जीपीएस उ 26°51.079' पू 078°27.182') एवं चौराह ग्राम से होते हुए जाती है फिर यह झौला का पुरा (जीपीएस उ 26°49.825' पू 078°31.312') ग्राम पहुंचती है। फिर यह देवपुरा ग्राम (जीपीएस उ 26°48.360' पू 078°38.939') से जुड़कर सड़क भाग पर पीनाहट-नदगवन सड़क की दक्षिणावर्त दिशा की ओर जाती है।

इसके बाद कृषि भूमि से होते हुए दक्षिणावर्त दिशा में नदगवन जयपुर सड़क के साथ जाकर प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पहरपुर ग्राम (जीपीएस उ 26°49.425' पू 078°41.567') के ईटभट्टा पहुंचती है। फिर पथरामपुरा ग्राम से दक्षिणावर्त दिशा में बह- उदी सड़क के साथ जाकर उधन्नापुरा रेलवे पुल (जीपीएस उ 26°50.171' पू 078°47.744') से होकर कृषि भूमि से होते हुए राम नगरीय (जीपीएस उ 26°49.176' पू 078°45.282') के रेलवे पुल से गुजरती है पुन: शाहपुर गुजर से कृषि भूमि एवं बहश्रेणी (जीपीएस उ 26°48' 12.1"पू 078°47' 22.1") की पूर्वी सीमा से 1 किलोमीटर दक्षिणावर्त दिशा में जाती है इसके बाद बहादुरपुर ग्राम (जीपीएस उ 26°48' 1.45" पू 078°47' 57.45") के निकट जाकर

पछयागांव चौराहा (जीपीएस उ 26°46' 11.12" पू 078°51' 47.48") के सामने में बह-उदी सड़क के साथ कृषि भूमि से होकर नायकपुरा, कुमहेरा, चंद्रापुरा खुर्द एवं मंकापुरा ग्राम की कृषि भूमियों से गुजरते हुए बधपुरा (जीपीएस उ 26°44' 26.11" पू 078°55' 12.43") के सामने रेलवे लाइन के निकट पहुंचती है। इसके बाद यह उदी- इटवा सड़क (जीपीएस उ 26°43' 30.72" पू 078°57' 46.98") को पार करके मीहौली सड़क (जीपीएस उ 26°39' 48.71" पू 079°01' 19.12") के निकट टावर के सामने और नगला अजीन, रमी का वार, पौथन ग्राम की कृषि भूमियों से होते हुए चकरनगर की ओर जाती है। फिर यह उदी–चकरनगर सड़क के साथ जाकर चकरनगर से लखाना सड़क की ओर और कसौआ, नगला कथोरी, नीमाधद ग्राम की कृषि भूमियों से होते हुए दिभौली पुल (जीपीएस उ 26°36' 38.72" पू 079°07' 12.78") तक पहुंचती है।

यमुना नदी के दिभौली पुल से प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा अंदवा की मदिया की ओर निजी क्षेत्र वन भूमि से होतें हुए सीकरोदी पुल (जीपीएस उ 26°32' 35.41" पू 079°14'56.17") को पार करती है। पुन: असेवा ग्राम (जीपीएस उ 26°28' 43.31" पू 079°16' 53.15") पहुंचकर निजी भूमि/वन क्षेत्र से होते हुए अन्नीरूधा नगर नगला महेव बरदौली ग्राम से होकर ततारपुर (जीपीएस उ 26°26' 00.68" पू 079°13' 46.26") तक जाती है। इसके बाद, यमुना को पार करके ततारपुर के निकट जाती है। फिर जगम्मनपुर सड़क (जीपीएस उ 26°25' 49.73" पू 079°12' 48.91") के निकट कनजौसा पुल से होकर हनुमानपुर–सीदौस सड़क पर सीनदन (जीपीएस उ 26°26' 36.678" पू 079°09' 09.35") पहुंचकर निजी भूमि/क्षेत्र भूमि से होते हुए कनजौसा पुल से कवरी नदी के तट पर चौरेला ग्राम (जीपीएस उ 26°28' 35.66" पू 079°05' 52.32") के निकट से होते हुए गुजरती है। फिर यह मध्य प्रदेश–उत्तर प्रदेश सीमा से होकर मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश (जीपीएस उ 26°35' 43.91" पू 079°58' 52.88") की राज्य सीमा के वीनदवन ग्राम के निकट पहुंचती है और चम्बल नदी (जीपीएस उ 26°36' 35.00" पू 079°00'35.02") के तट के निकट स्थित बिंदु पर पहुंचती है।

उपाबंध II

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

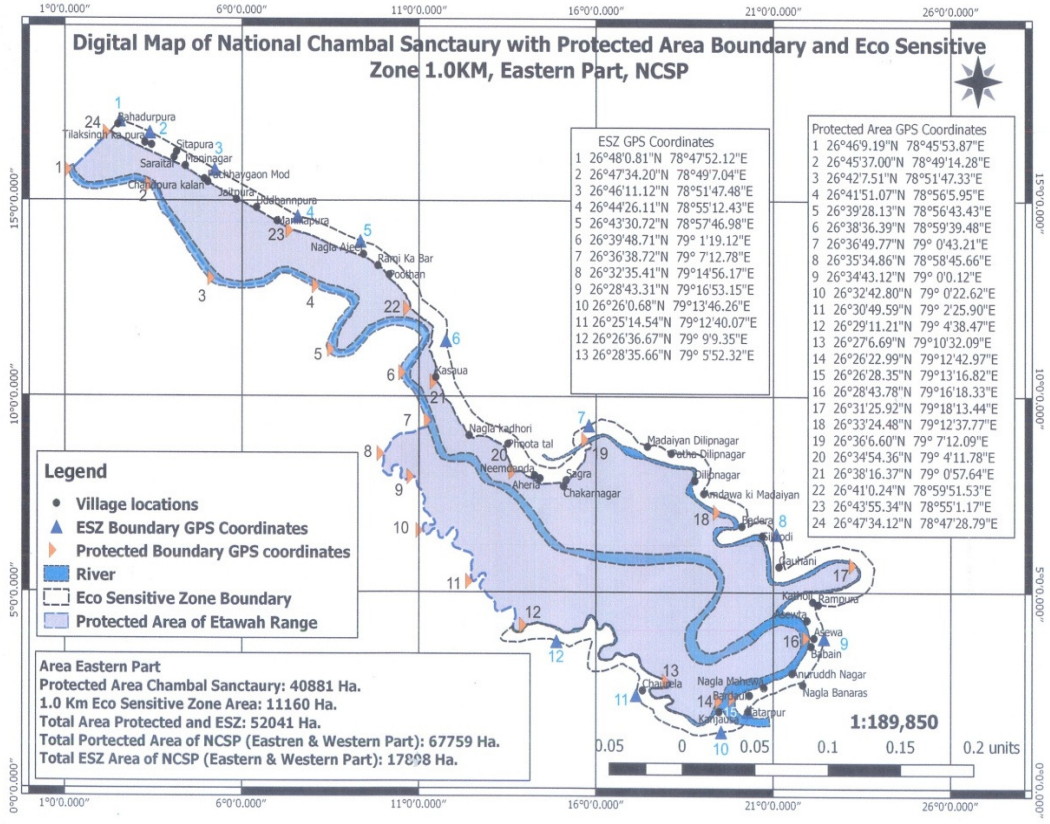

उपाबंध II (क)

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

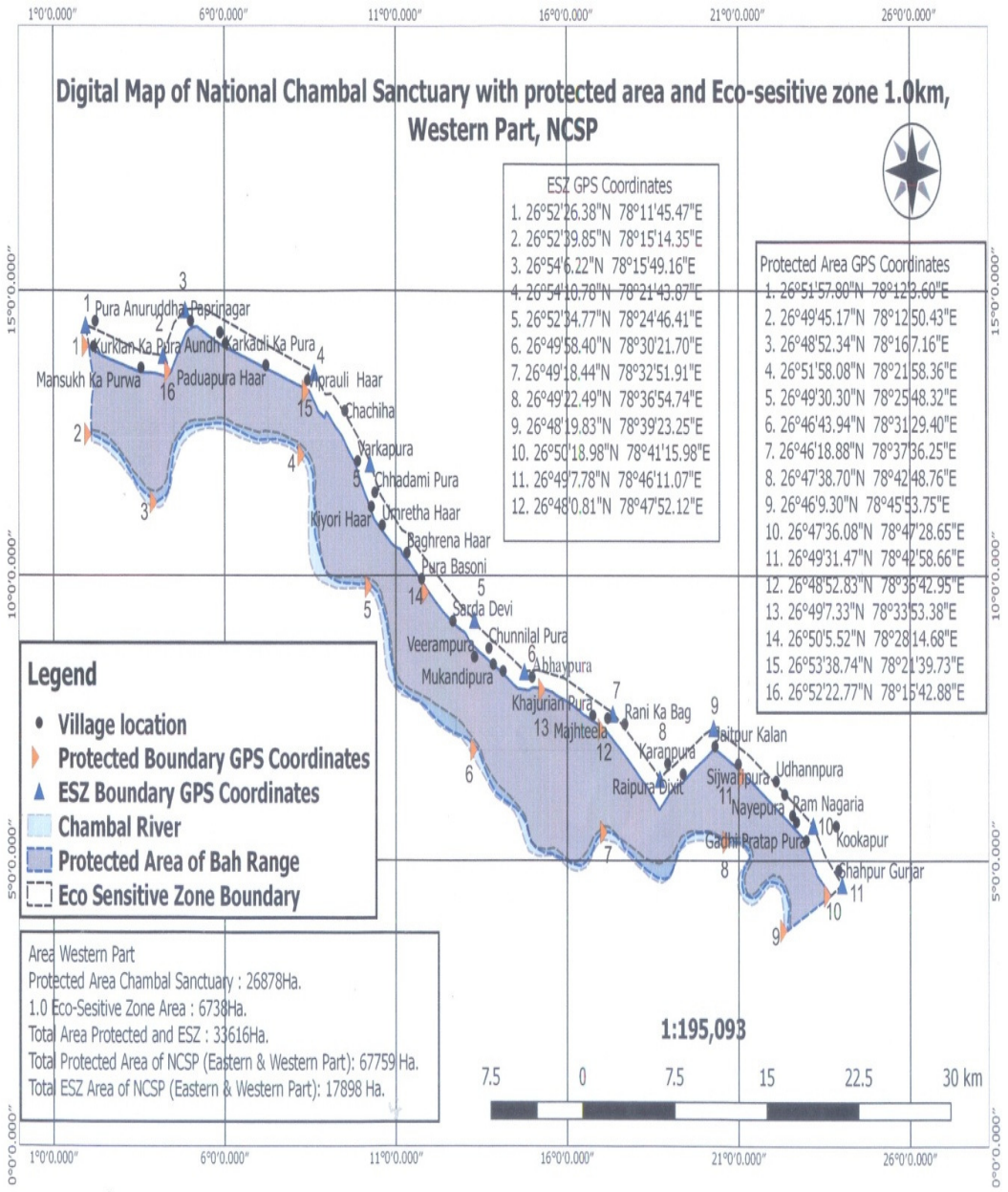

उपाबंध III-क

क. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पश्चिमी भाग के भू-निर्देशांक

राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के पश्चिमी भाग के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जी.पी.एस निर्देशांक		
1	26°48'0.81"उ	78°47'52.12"पू
2	26°48'19.83"उ	78°39'23.25"पू
3	26°49'7.78"उ	78°46'11.07"पू
4	26°49'18.44"उ	78°32'51.91"पू
5	26°49'22.49"उ	78°36'54.74"पू
6	26°49'58.40"उ	78°30'21.70"पू
7	26°50'18.98"उ	78°41'15.98"पू
8	26°52'26.38"उ	78°11'45.47"पू
9	26°52'34.77"उ	78°24'46.41"पू
10	26°52'39.85"उ	78°15'14.35"पू
11	26°54'6.22"उ	78°15'49.16"पू
12	26°54'10.78"उ	78°21'43.87"पू

राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के पश्चिमी भाग के संरक्षित क्षेत्र के जी.पी.एस निर्देशांक		
1	26°51'57.80"उ	78°12'3.60"पू
2	26°49'45.17"उ	78°12'50.43"पू
3	26°48'52.34"उ	78°16'7.16"पू
4	26°51'58.08"उ	78°21'58.36"पू
5	26°49'30.30"उ	78°25'48.32"पू
6	26°46'43.94"उ	78°31'29.40"पू
7	26°46'18.88"उ	78°37'36.25"पू
8	26°47'38.70"उ	78°42'48.76"पू
9	26°46'9.30"उ	78°45'53.75"पू
10	26°47'36.08"उ	78°47'28.65"पू
11	26°49'31.47"उ	78°42'58.66"पू
12	26°48'52.83"उ	78°36'42.95"पू
13	26°49'7.33"उ	78°33'53.38"पू
14	26°50'5.52"उ	78°28'14.68"पू
15	26°53'38.74"उ	78°21'39.73"पू
16	26°52'22.77"उ	78°15'42.88"पू

उपाबंध-III-ख

ख. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पूर्वी भाग के भू-निर्देशांक

राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के पूर्वी भाग के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के जी.पी.एस. निर्देशांक		
1	26°25'49.73"उ	79°12'48.91"पू
2	26°26'0.68"उ	79°13'46.26"पू
3	26°26'36.67"उ	79°9'9.35"पू
4	26°28'35.66"उ	79°5'52.32"पू
5	26°28'43.31"उ	79°16'53.15"पू
6	26°32'35.41"उ	79°14'56.17"पू
7	26°35'43.91"उ	78°58'52.88"पू
8	26°36'38.72"उ	79°7'12.78"पू
9	26°39'48.71"उ	79°1'19.12"पू
10	26°43'30.72"उ	78°57'46.98"पू
11	26°44'26.11"उ	78°55'12.43"पू
12	26°46'11.12"उ	78°51'47.48"पू
13	26°47'34.20"उ	78°49'7.04"पू
14	26°47'36.50"उ	78°47'27.10"पू
15	26°48'1.45"उ	78°47'57.45"पू

राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के पूर्वी भाग के संरक्षित क्षेत्र के जी.पी.एस.निर्देशांक		
1	26°46'9.19"उ	78°45'53.87"पू
2	26°45'37.00"उ	78°49'14.28"पू
3	26°42'7.51"उ	78°51'47.33"पू
4	26°41'51.07"उ	78°56'5.95"पू
5	26°39'28.13"उ	78°56'43.43"पू
6	26°38'36.39"उ	78°59'39.48"पू
7	26°36'49.77"उ	78°0'43.21"पू
8	26°35'34.86"उ	78°58'45.66"पू
9	26°34'43.12"उ	79°0'0.12"पू
10	26°32'42.80"उ	79°0'22.62"पू
11	26°30'49.59"उ	79°2'25.90"पू
12	26°29'11.21"उ	79°4'38.47"पू
13	26°27'6.69"उ	79°10'32.09"पू
14	26°26'22.99"उ	79°12'42.97"पू
15	26°26'28.35"उ	79°13'16.82"पू
16	26°28'43.78"उ	79°16'18.33"पू

17	26°31'25.92"उ	79°18'13.44"पू
18	26°33'24.48"उ	79°12'37.77"पू
19	26°36'6.60"उ	79°7'12.09"पू
20	26°34'54.36"उ	79°4'11.78"पू
21	26°38'16.37"उ	79°0'57.64"पू
22	26°41'0.24"उ	78°59'51.53"पू
23	26°43'55.34"उ	78°55'1.17"पू
24	26°47'34.12"उ	78°47'28.79"पू

उपाबंध-IV-क

पश्चिमी भाग की ओर भू-निर्देशांक के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	भाग	अक्षांश	देशांतर
1.	अभयपुर	पश्चिमी	26° 49' 16.00" उ	78° 33' 13.70" पू
2.	बघराइनाहार		26° 50' 48.60" उ	78° 27' 1.70" पू
3.	चाचीहा		26° 50' 26.37" उ	78° 23' 11.73" पू
4.	चाकरपांपुरा		26° 49' 2.60" उ	78° 31' 57.70" पू
5.	छाद्दामीपुरा		26° 51' 55.20" उ	78° 25' 12.00" पू
6.	चुन्नीलालकपुरा		26° 49' 26.50" उ	78° 31' 11.40" पू
7.	गरीपरातप्पुरा		26° 48' 0.00" उ	78° 46' 0.30" पू
8.	गरीरामपुरा		26° 49' 25.88" उ	78° 40' 38.09" पू
9.	इसयोयपुरा		26° 49' 24.21" उ	78° 45' 10.58" पू
10.	जइटपुराकलां		26° 49' 44.64" उ	78° 41' 34.62" पू
11.	करनपुरा		26° 48' 0.16" उ	78° 38' 41.34" पू
12.	करकोलीपुरा		26° 53' 58.90" उ	78° 18' 10.60" पू
13.	खजुरीयांपुरा		26° 49' 0.73" उ	78° 35' 22.92" पू
14.	कोरथनाह		26° 48' 0.00" उ	78° 46' 52.70" पू
15.	कुकापुरा		26° 48' 48.68" उ	78° 46' 35.54" पू
16.	कुरकीअनपुरा		26° 52' 0.50" उ	78° 12' 15.50" पू
17.	कयोरीहार		26° 51' 31.00" उ	78° 25' 9.70" पू
18.	मजतीला		26° 49' 24.50" उ	78° 36' 44.53" पू
19.	मंसुखपुराकापुरवा		26° 52' 4.80" उ	78° 14' 25.10" पू
20.	मुकुंदीपुरा		26° 49' 11.35" उ	78° 31' 39.52" पू
21.	नयेपुरा		26° 49' 40.14" उ	78° 44' 27.31" पू
22.	ओंधा		26° 53' 58.70" उ	78° 17' 27.80" पू
23.	पदुअपुराहार		26° 53' 44.80" उ	78° 19' 39.20" पू

24.	पापरीनागर		26° 53' 53.40" उ	78° 16' 8.40" पू
25.	पुर्रानुरूधा		26° 52' 39.90" उ	78° 12' 7.90" पू
26.	पुरावासोनी		26° 49' 51.84" उ	78° 27' 35.04" पू
27.	रीपुरादीकछात		26° 48' 46.62" उ	78° 40' 31.26" पू
28.	रामनगरीया		26° 49' 0.00" उ	78° 45' 14.10" पू
29.	रानीबाग		26° 48' 41.16" उ	78° 37' 6.78" पू
30.	शारदादेवी		26° 49' 41.52" उ	78° 29' 42.24" पू
31.	साहपुरागुजर		26° 48' 0.00" उ	78° 47' 36.70" पू
32.	सीजवारीपुरा		26° 49' 36.30" उ	78° 42' 31.80" पू
33.	सुराकापुरा		26° 49' 0.00" उ	78° 45' 26.80" पू
34.	उधांपुरा		26° 49' 56.74" उ	78° 43' 29.49" पू
35.	उमरीथाहार		26° 51' 11.40" उ	78° 25' 46.70" पू
36.	वारकापुरा		26° 52' 29.50" उ	78° 24' 14.00" पू
37.	वीरामपुर		26° 49' 2.04" उ	78° 30' 39.00" पू
38.	वीपरावालीहार		26° 53' 54.30" उ	78° 21' 30.50" पू

उपाबंध-IV-ख

पूर्वी भाग की ओर भू-निर्देशाक के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

ग्राम	ग्राम का नाम	भाग	अक्षांश	देशांतर
1.	अहेरिया		26° 34' 39.90" उ	79° 5' 11.22" पू
2.	अंदावाकीमांधीया		26° 33' 50.10" उ	79° 11' 36.06" पू
3.	अनुरूद्धनगर		26° 28' 25.20" उ	79° 16' 15.00" पू
4.	असेवा		26° 29' 12.50" उ	79° 16' 16.70" पू
5.	असेवाता		26° 30' 4.60" उ	79° 16' 18.30" पू
6.	बदैरा		26° 32' 51.89" उ	79° 13' 42.49" पू
7.	बहादुरपुरा		26° 47' 52.20" उ	78° 47' 47.46" पू
8.	बरदोली		26° 26' 53.30" उ	79° 14' 22.90" पू
9.	बावैन		26° 28' 43.00" उ	79° 16' 35.20" पू
10.	चाकरनागर	पूर्वी	26° 34' 22.44" उ	79° 6' 9.48" पू
11.	चांदपुरकलां		26° 45' 49.01" उ	78° 51' 28.33" पू
12.	चोरेला		26° 27' 19.00" उ	79° 9' 42.00" पू
13.	दलीय नगर		26° 34' 42.30" उ	79° 11' 36.00" पू
14.	गोहनी		26° 31' 37.90" उ	79° 15' 0.39" पू
15.	जीतपुर		26° 45' 4.32" उ	78° 52' 40.74" पू
16.	कीथोली		26° 30' 7.80" उ	79° 16' 42.10" पू
17.	कंजोसा		26° 26' 5.80" उ	79° 12' 37.50" पू
18.	कसोआ		26° 38' 26.28" उ	79° 0' 53.94" पू
19.	मंडियादीलीपनगर		26° 35' 29.16" उ	79° 9' 19.86" पू

20.	मनीकपुरा		26° 44' 18.81" उ	78° 54' 30.52" पू
21.	मनीनगर		26° 46' 19.62" उ	78° 50' 33.96" पू
22.	नगल्लाजईत		26° 43' 1.80" उ	78° 57' 5.40" पू
23.	नगलाबनारस		26° 27' 25.20" उ	79° 15' 35.10" पू
24.	नगलाकरोरी		26° 36' 16.20" उ	79° 2' 16.44" पू
25.	नगलामाहैवा		26° 27' 25.20" उ	79° 15' 35.00" पू
26.	नीमदांदा		26° 34' 28.68" उ	79° 4' 30.96" पू
27.	पच्चायेंगोनमोदे		26° 45' 8.93" उ	78° 51' 8.14" पू
28.	दिलीय नगर		26° 35' 36.06" उ	79° 10' 35.82" पू
29.	फुटाटाल		26° 34' 47.82" उ	79° 4' 51.66" पू
30.	पूथान		26° 42' 16.08" उ	78° 58' 58.20" पू
31.	पुरानीधासिंह		26° 47' 6.42" उ	78° 49' 11.28" पू
32.	रामीकावर		26° 42' 36.60" उ	78° 58' 29.94" पू
33.	रामपुरा		26° 29' 58.10" उ	79° 16' 42.10" पू
34.	सागरा		26° 34' 35.70" उ	79° 6' 16.02" पू
35.	साराताल		26° 46' 38.40" उ	78° 50' 6.36" पू
36.	सिकरोरी		26° 32' 25.30" उ	79° 14' 36.00" पू
37.	सीतापुर		26° 46' 51.06" उ	78° 50' 12.48" पू
38.	तीलकसिबह का पुरा		26° 47' 11.46" उ	78° 48' 54.90" पू
39.	ततारपुर		26° 26' 39.60" उ	79° 13' 46.00" पू
40.	उदीमोदे		26° 43' 7.20" उ	78° 57' 25.08" पू
41.	उघन्नपुरा		26° 44' 46.32" उ	78° 53' 30.24" पू

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2018

S.O. 1653(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

AND WHEREAS, the National Chambal Sanctuary situated in Agra District of Uttar Pradesh is spread over an area of about 635.0 sq. Km.

AND WHEREAS, The National Chambal Sanctuary is habitat of Nilgai, Wild boar, Porcupine, Black-naped hare, Indian fox, Golden Jackal, Hyena, Indian Wolf, Smooth-coated, Indian Otter etc. The bird sanctuary is also rich in large number bird species such as Comb duck, Spot billed duch, Lesser whistling teal, Storks-Painted, Open bill, Black-necked, Herons-Grey, Purple, Ergets-Large, Cormorants-Great, Indian Shag, Cattle, Darter, Sarus crane etc. It is the most important protected area to give protection to freshwater reptiles such as Gharial.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area up to **one kilometre** from the boundary of the protected area of National Chambal Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to one kilometre from the boundary of the protected area of National Chambal Sanctuary in the state of Uttar Pradesh (as shown in the map annexed to the notification as Annexure A), as the Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), namely.

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-** (1) The said Eco-Sensitive Zone is situated between zero to **one kilometre** from the boundary of National Chambal Sanctuary with an ESZ area of 178.98 Sq. Km. falling in the Agra district of Uttar Pradesh. Zero ESZ extent is proposed towards interstate boundary touching Madhya Pradesh.

(2) The boundary description of National Chambal Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II- A and Annexure-II B.**

(4) The Geo-coordinates of National Chambal Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-III-A and Annexure-III-B.**

(5) The list of five villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV-A and Annexure-IV-B.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date

of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment;

ii. Forest and Wildlife;

iii. Agriculture;

iv. Revenue;

v. Urban Development;

vi. Tourism;

vii. Rural Development;

viii. Irrigation and Flood Control;

ix. Municipal ;

x. Panchayati Raj ; and

xi. Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of the final notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of the final notification, namely:-

(1) **Landuse.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities :

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the to meet the residential needs of the local residents, and for activity such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities and given in paragraph 4:

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

(f) Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism -** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometre from the boundary of the National Chambal Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within the Eco-sensitive Zone area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of final notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of final notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986;

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder;

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the water (Prevention control of pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste. -** Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution:** -Prevention and control of vehicular pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with applicable laws and effort shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management:-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.-

(14) Construction and demolition waste management:- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) Industrial units.- (i) no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in the final notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, Regulated and Promoted Activities:-**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated activities	
9. .	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the protected area or the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
10. .	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11. .	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
12. .	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
13.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate companies	Regulated under applicable laws.
14.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable law.

15.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
18.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
19.	Erection of electric cables	Regulated under applicable laws.
20.	Recycling of bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
21.	Installation of electric lines.	Regulated under applicable laws. Promote underground cabling.
22.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
23.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
24.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
26.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
28. .	Collection of non-timber forest products	Regulated under applicable laws.

29.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
30.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 degree and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
33.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
40.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Environment awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of the final notification, comprising of the following, namely:-

1.	Commissioner Agra Mandal, Agra	Chairman;
2.	Deputy Conservator of Forests, National Chambal Sanctuary Project, Agra	Member ;
3.	Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police, Agra & Etawah	Member ;
4.	One Expert in Ecology	Member;
5.	One Expert in Biodiversity	Member;
6.	A representative of Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India	Member ;
7.	One representative of a Non Government Organization (NGO) working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of India.	Member;
8.	Executive Engineer of PWD, Agra & Etawah	Member;
9.	Executive Engineer of Irrigation Department, Agra & Etawah	Member ;

10.	District Agriculture Officer, Agra & Etawah	Member;
11.	Regional Officer, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, District Agra & Etawah	Member;
12.	Conservator of Forests, Agra Circle, Agra	Member Secretary .

6. **Terms of reference:**

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of the final Notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of the final notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders; The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/11/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA

National Chambal Sanctuary is a tri-state sanctuary which is extended in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh & Rajasthan. It linear sanctuary, Clockwise description of Physical boundary of ESZ of National Chambal Sanctuary, U.P. Part is as follows:

It starts from Tasod (GPS N 26°51.912' E 078°12.319') Western boundary of Bah range at Pinahat-Rajakheda Road. In Clockwise direction at 1km distance from here, it passes near Primary School of Anuruddhapura. While passing through farmland it corsses Kuccha Road of Manshukpura (GPS N 26°52.257' E 078°14.443') then through farmland of Karkauli (GPS N 26°54.217' E 078°18.109') it goes to village Nayabans (GPS N 26°54.999' e 078°20.939'). Again through farmaland it corsses Pinahat –Araota Road (GPS N 26°53.947' E 078°22.562') then along Pinahat-Nadgawan road, via Utsana village through farmland (GPS N 26°52.337' E 078°24.212') it passes village Sikatara (GPS N 26°52.486' E 078°24.645'),then through farmland it goes to Baghraina Chauraha & passing through village Badaus (GPS N 26°51.079' E 078°27.182') & Agricultural land it reaches to village Jhaula ka Pura (GPS N 26°49.825' E 078°31.312'). Likewise while passing in clockwise direction towards Pinahat-Nadgawan road side road connecting to village Devpura (GPS N 26°48.360' E 078°38.939').

After that along Nadgawan-Jaipur road in clockwise direction through farmlands, proposed ESZ boundary reaches to a brick kiln of village Paharpura (GPS N 26°49.425' E 078°41.567'). Similarly along with Bah-Udi Road in clockwise direction from village Pyarampura it passes through Udhannapura Railway Bridge (GPS N 26°50.171' E 078°47.744') then through farmlands it goes to Railway Bridge of Ram nagaria (GPS N 26°49.176' E 078°45.282'), again through farmlands to Shahpur Gujar & in clockwise direction upto 1 km from Eastern boundary of Bah range (GPS N 26°48' 12.1" E 078°47' 22.1") then going near village Bahadurpur (GPS N 26°48' 1.45" E 078°47' 57.45") it passes through farmland along Bah-Udi road in front of Pachhaygaon Chauraha (GPS N 26°46' 11.12" E 078°51' 47.48"), then passing through farmlands of village Nayakpura, Kumhera, Chandrapura Khurd & Mankapura it reaches near railway line in front of Badhpura Chauraha (GPS N 26°44' 26.11" E 078°55' 12.43"). After that it crosses Udi-Etawah road (GPS N 26°43' 30.72" E 078°57' 46.98") then it goes towards Chakarnagar through farmlands of village Nagla Ajit, Rami ka War, Poothan and in front of Chikni tower near Mihauli road (GPS N 26°39' 48.71" E 079°01' 19.12"). Similarly along the Udi-Chakarnagar road it passes through farmalands of village Kasaua, Nagla Kathori, Neemadhad and towards Lakhana Road from Chakarnagar it reaches till Dibhauli bridge (GPS N 26°36' 38.72" E 079°07' 12.78").

From Dibhauli Bridge of Yamuna river the proposed ESZ passes through Private land forest land towards Andawa ki Madiya & after crossing Sikarodi Bridge (GPS N 26°32' 35.41" E 079°14'56.17") again through private land/forest land reaches to village Asewa (GPS N 26°28' 43.31" E 079°16' 53.15") then through village Anniruddha Nagar, Nagla Mahew Bardauli it goes to Tatarpur (GPS N 26°26' 00.68" E 079°13' 46.26"). After that near Tatarpur crossing Yamuna it goes from Kanjausa bridge near Jagammanpur road (GPS N 26°25' 49.73" E 079°12' 48.91") and passing near village Chaurela (GPS N 26°26' 36.678" E 079°09' 09.35") the bank of Kwari river from Kanjausa bridge through private land/forest land reaches Sindat (GPS N 26°28' 35.66" E 079°05' 52.32") on Hanumantpura-Sindaus road. After that from Kwari river bridge along with bank of Kwari river it passes through Madhya Pradesh– Uttar Pradesh border and reaches near Vindwan village the State boundary of Madhya Pradesh-Uttar Pradesh (GPS N 26°35' 43.91" E 079°58' 52.88") and reaches the point near the bank of Chambal river (GPS N 26°36' 35.00" E 079°00'35.02").

ANNEXURE- II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

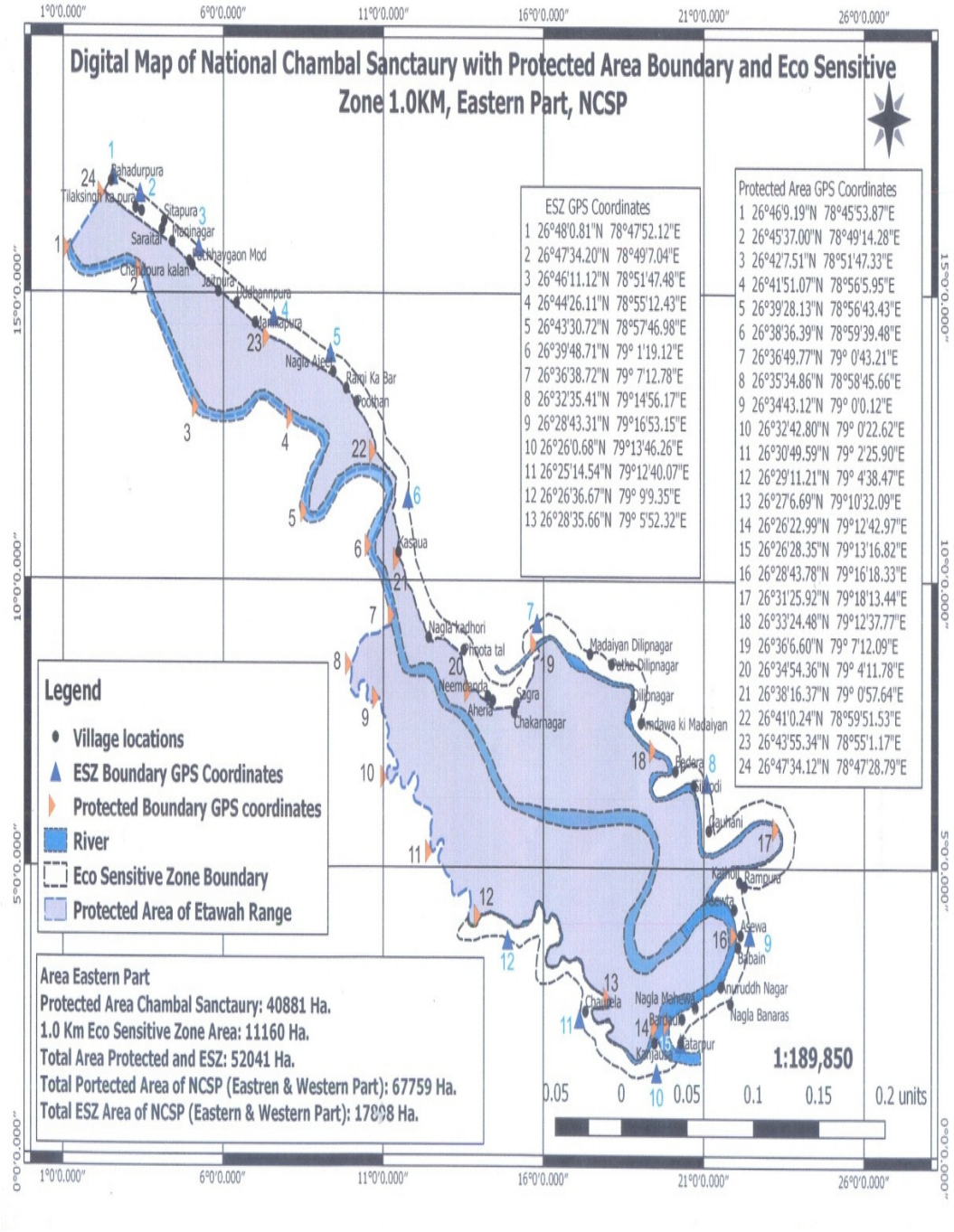

ANNEXURE- II A

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

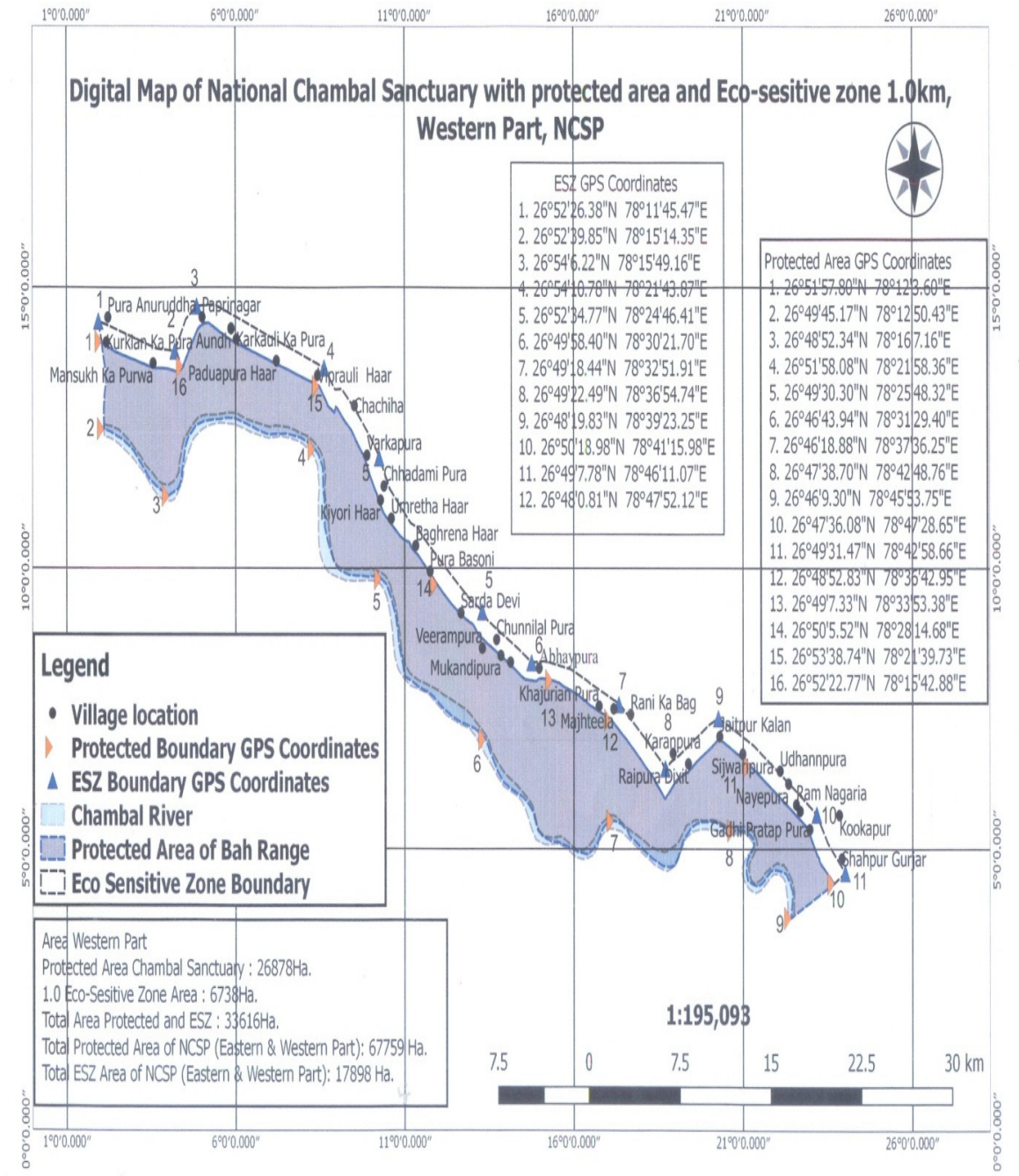

ANNEXURE-III-A

A. Geo-Coordinates of National Chambal Sanctuary and its Eco-sensitive zone- Western Part

GPS Coordinates of Eco Sensitive Zone of NC WLS Western Part		
1	26°48'0.81"N	78°47'52.12"E
2	26°48'19.83"N	78°39'23.25"E
3	26°49'7.78"N	78°46'11.07"E
4	26°49'18.44"N	78°32'51.91"E
5	26°49'22.49"N	78°36'54.74"E
6	26°49'58.40"N	78°30'21.70"E
7	26°50'18.98"N	78°41'15.98"E
8	26°52'26.38"N	78°11'45.47"E
9	26°52'34.77"N	78°24'46.41"E
10	26°52'39.85"N	78°15'14.35"E
11	26°54'6.22"N	78°15'49.16"E
12	26°54'10.78"N	78°21'43.87"E

GPS Coordinates of protected area of NC WLS Western Part		
1	26°51'57.80"N	78°12'3.60"E
2	26°49'45.17"N	78°12'50.43"E
3	26°48'52.34"N	78°16'7.16"E
4	26°51'58.08"N	78°21'58.36"E
5	26°49'30.30"N	78°25'48.32"E
6	26°46'43.94"N	78°31'29.40"E
7	26°46'18.88"N	78°37'36.25"E
8	26°47'38.70"N	78°42'48.76"E
9	26°46'9.30"N	78°45'53.75"E
10	26°47'36.08"N	78°47'28.65"E
11	26°49'31.47"N	78°42'58.66"E
12	26°48'52.83"N	78°36'42.95"E
13	26°49'7.33"N	78°33'53.38"E
14	26°50'5.52"N	78°28'14.68"E
15	26°53'38.74"N	78°21'39.73"E
16	26°52'22.77"N	78°15'42.88"E

ANNEXURE-III-B

B. Geo-Coordinates of National Chambal Sanctuary and its Eco-sensitive zone-Eastern Part

GPS Coordinates of Eco Sensitive Zone of NC WLS Eastern Part		
1	26°25'49.73"N	79°12'48.91"E
2	26°26'0.68"N	79°13'46.26"E
3	26°26'36.67"N	79°9'9.35"E
4	26°28'35.66"N	79°5'52.32"E
5	26°28'43.31"N	79°16'53.15"E
6	26°32'35.41"N	79°14'56.17"E
7	26°35'43.91"N	78°58'52.88"E
8	26°36'38.72"N	79°7'12.78"E
9	26°39'48.71"N	79°1'19.12"E
10	26°43'30.72"N	78°57'46.98"E
11	26°44'26.11"N	78°55'12.43"E
12	26°46'11.12"N	78°51'47.48"E
13	26°47'34.20"N	78°49'7.04"E
14	26°47'36.50"N	78°47'27.10"E
15	26°48'1.45"N	78°47'57.45"E

GPS Coordinates of Protected area of NC WLS Eastern Part		
1	26°46'9.19"N	78°45'53.87"E
2	26°45'37.00"N	78°49'14.28"E
3	26°42'7.51"N	78°51'47.33"E
4	26°41'51.07"N	78°56'5.95"E
5	26°39'28.13"N	78°56'43.43"E
6	26°38'36.39"N	78°59'39.48"E
7	26°36'49.77"N	78°0'43.21"E
8	26°35'34.86"N	78°58'45.66"E
9	26°34'43.12"N	79°0'0.12"E
10	26°32'42.80"N	79°0'22.62"E
11	26°30'49.59"N	79°2'25.90"E
12	26°29'11.21"N	79°4'38.47"E
13	26°27'6.69"N	79°10'32.09"E
14	26°26'22.99"N	79°12'42.97"E
15	26°26'28.35"N	79°13'16.82"E
16	26°28'43.78"N	79°16'18.33"E
17	26°31'25.92"N	79°18'13.44"E
18	26°33'24.48"N	79°12'37.77"E

19	26°36'6.60"N	79°7'12.09"E
20	26°34'54.36"N	79°4'11.78"E
21	26°38'16.37"N	79°0'57.64"E
22	26°41'0.24"N	78°59'51.53"E
23	26°43'55.34"N	78°55'1.17"E
24	26°47'34.12"N	78°47'28.79"E

ANNEXURE-IV-A

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES TOWARDS WESTERN SIDE.

Sl. No.	Village Name	Part	Latitude	Longitude
1.	ABHAYPURA	Western	26° 49' 16.00" N	78° 33' 13.70" E
2.	BAGHRAINAHAAR		26° 50' 48.60" N	78° 27' 1.70" E
3.	CHACHIHA		26° 50' 26.37" N	78° 23' 11.73" E
4.	CHAKARPANPURA		26° 49' 2.60" N	78° 31' 57.70" E
5.	CHHADDAMIPURA		26° 51' 55.20" N	78° 25' 12.00" E
6.	CHUNNILALKAPURA		26° 49' 26.50" N	78° 31' 11.40" E
7.	GARIPRATAPPURA		26° 48' 0.00" N	78° 46' 0.30" E
8.	GARIRAMPURA		26° 49' 25.88" N	78° 40' 38.09" E
9.	ISYOUPURA		26° 49' 24.21" N	78° 45' 10.58" E
10.	JAITPURKALAN		26° 49' 44.64" N	78° 41' 34.62" E
11.	KARANPURA		26° 48' 0.16" N	78° 38' 41.34" E
12.	KARKOLIPURA		26° 53' 58.90" N	78° 18' 10.60" E
13.	KHAJURIYANPURA		26° 49' 0.73" N	78° 35' 22.92" E
14.	KORTHANAH		26° 48' 0.00" N	78° 46' 52.70" E
15.	KUKAPUR		26° 48' 48.68" N	78° 46' 35.54" E
16.	KURKIANPURA		26° 52' 0.50" N	78° 12' 15.50" E
17.	KYORIHAAR		26° 51' 31.00" N	78° 25' 9.70" E
18.	MAJHTILA		26° 49' 24.50" N	78° 36' 44.53" E
19.	MANSUKHPURAKAPURVA		26° 52' 4.80" N	78° 14' 25.10" E
20.	MUKUNDIPURA		26° 49' 11.35" N	78° 31' 39.52" E
21.	NAYEPURA		26° 49' 40.14" N	78° 44' 27.31" E
22.	OANDH		26° 53' 58.70" N	78° 17' 27.80" E
23.	PADUAPURAHAAR		26° 53' 44.80" N	78° 19' 39.20" E
24.	PAPRINAGAR		26° 53' 53.40" N	78° 16' 8.40" E
25.	PURAANURUDH		26° 52' 39.90" N	78° 12' 7.90" E
26.	PURAVASONI		26° 49' 51.84" N	78° 27' 35.04" E
27.	RAIPURADIKCHHIT		26° 48' 46.62" N	78° 40' 31.26" E
28.	RAMNAGRIYA		26° 49' 0.00" N	78° 45' 14.10" E
29.	RANIBAG		26° 48' 41.16" N	78° 37' 6.78" E

30.	SARDADEVI		26° 49' 41.52" N	78° 29' 42.24" E
31.	SHAHPURAGUJAR		26° 48' 0.00" N	78° 47' 36.70" E
32.	SIJVARIPURA		26° 49' 36.30" N	78° 42' 31.80" E
33.	SURAKAPURA		26° 49' 0.00" N	78° 45' 26.80" E
34.	UDHANPURA		26° 49' 56.74" N	78° 43' 29.49" E
35.	UMRAITHAHAAR		26° 51' 11.40" N	78° 25' 46.70" E
36.	VARKAPURA		26° 52' 29.50" N	78° 24' 14.00" E
37.	VEERAMPUR		26° 49' 2.04" N	78° 30' 39.00" E
38.	VIPRAWALIHAAR		26° 53' 54.30" N	78° 21' 30.50" E

ANNEXURE-IV-B

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES TOWARDS ESTERN SIDE.

Sl. No.	Village Name	Part	Latitude	Longitude
1.	AHERIYA	Eastern	26° 34' 39.90" N	79° 5' 11.22" E
2.	ANDAVAKIMANDHIYA		26° 33' 50.10" N	79° 11' 36.06" E
3.	ANURUDHNAGAR		26° 28' 25.20" N	79° 16' 15.00" E
4.	ASEVA		26° 29' 12.50" N	79° 16' 16.70" E
5.	ASEVATA		26° 30' 4.60" N	79° 16' 18.30" E
6.	BADAIRA		26° 32' 51.89" N	79° 13' 42.49" E
7.	BAHADURPURA		26° 47' 52.20" N	78° 47' 47.46" E
8.	BARDOLI		26° 26' 53.30" N	79° 14' 22.90" E
9.	BAVAIN		26° 28' 43.00" N	79° 16' 35.20" E
10.	CHAKARNAGAR		26° 34' 22.44" N	79° 6' 9.48" E
11.	CHANDARPURAKALAN		26° 45' 49.01" N	78° 51' 28.33" E
12.	CHORELA		26° 27' 19.00" N	79° 9' 42.00" E
13.	DALIPNAGAR		26° 34' 42.30" N	79° 11' 36.00" E
14.	GOHANI		26° 31' 37.90" N	79° 15' 0.39" E
15.	JAITPURA		26° 45' 4.32" N	78° 52' 40.74" E
16.	KAITHOLI		26° 30' 7.80" N	79° 16' 42.10" E
17.	KANJOSA		26° 26' 5.80" N	79° 12' 37.50" E
18.	KASOA		26° 38' 26.28" N	79° 0' 53.94" E
19.	MANDHIYADILIPNAGAR		26° 35' 29.16" N	79° 9' 19.86" E
20.	MANIKAPURA		26° 44' 18.81" N	78° 54' 30.52" E
21.	MANINAGAR		26° 46' 19.62" N	78° 50' 33.96" E
22.	NAGLAAJEET		26° 43' 1.80" N	78° 57' 5.40" E
23.	NAGLABANARAS		26° 27' 25.20" N	79° 15' 35.10" E
24.	NAGLAKARORI		26° 36' 16.20" N	79° 2' 16.44" E
25.	NAGLAMAHEVA		26° 27' 25.20" N	79° 15' 35.00" E
26.	NEEMDANDA		26° 34' 28.68" N	79° 4' 30.96" E

27.	PACHHAYENGAONMODE		26° 45' 8.93" N	78° 51' 8.14" E
28.	PATHADILIPNAGAR		26° 35' 36.06" N	79° 10' 35.82" E
29.	PHOOTATAAL		26° 34' 47.82" N	79° 4' 51.66" E
30.	POOTHAN		26° 42' 16.08" N	78° 58' 58.20" E
31.	PURANIDHANSINGH		26° 47' 6.42" N	78° 49' 11.28" E
32.	RAMIKAVAR		26° 42' 36.60" N	78° 58' 29.94" E
33.	RAMPURA		26° 29' 58.10" N	79° 16' 42.10" E
34.	SAGRA		26° 34' 35.70" N	79° 6' 16.02" E
35.	SARAYTAAL		26° 46' 38.40" N	78° 50' 6.36" E
36.	SIKRORI		26° 32' 25.30" N	79° 14' 36.00" E
37.	SITAPUR		26° 46' 51.06" N	78° 50' 12.48" E
38.	TILAKSINGHKAPURA		26° 47' 11.46" N	78° 48' 54.90" E
39.	TTARPUR		26° 26' 39.60" N	79° 13' 46.00" E
40.	UDIMODE		26° 43' 7.20" N	78° 57' 25.08" E
41.	UGHANNPURA		26° 44' 46.32" N	78° 53' 30.24" E

Annexure –V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.27 17:29:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.